

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या—

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

FP/UK/ROAD/16517/2015

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7- परियोजना/रक्कीम का स्थान Construction of Motor Road to SC Village Chathura from Chamoli Palithi - Saatoli Motor Road.

(1) राज्य/संघ शोसित क्षेत्र :- उत्तराखण्ड राज्य

(2) जिला :- चमोली

(3) वन प्रभाग

:- बड़ीनामा वन पुमारा, गोपेश्वर।

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर) 5.088

(5) वन की कानूनी स्थिति

स्थिति द्वारा

(6) हरियाली घनत्व

0.1 रु 0.4 रु

(7) जातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0- 2 मी0 पर परिणामना और एफ0आर0एल0-4 मी0 भी संलग्न किये जायें।

(8) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संयोगशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

(10) क्या क्षेत्र में वनरप्ति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित व्यौरा दें।

सेलगन

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पौराणिक रथल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धित व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अन्नापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

सेलगन

(8) प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

सेलगन

(9) क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

नहीं

10- प्रतिपूरक वनीकरण रक्कीम का व्यौरा—

(पूर्ण) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

सेलगन

प्रस्तावित वन सुनि-पुनर्गम है।

- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षमित वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता है।  
 (3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन ऐजेन्सी समय अनुसूची लागत, ढांचा आदि  
 (4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय  
 (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

संलग्न

संलग्न

संलग्न

संलग्न

संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम-7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र:-

803000  $\text{₹}^{\text{८०}}\text{३०००}$

(2) जिला का वन क्षेत्र:-

514792  $\text{₹}^{\text{५१}}\text{४७९२}$

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वर्त्ताव प्रयोग में लाया गया

कुल क्षेत्र :- २१७ माल्ह ४२५.१३१  $\text{₹}^{\text{४२५}}\text{.१३१}}$

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि X

(ख) वनेत्तर भूमि पर

509.39  $\text{₹}^{\text{५०९}}\text{.३९}}$

(5) २०-०५-२०१६ तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर ५६०.४५  $\text{₹}^{\text{५६०}}\text{.४५}}$

(ख) वनेत्तर भूमि पर ५०९.३९  $\text{₹}^{\text{५०९}}\text{.३९}}$

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

क्षेत्र की जाति  $\text{₹}^{\text{५।}}$

तिथि:- २५-०५-२०१६

स्थान:- Gokeshwar

हस्ताक्षर

(नाम:- २२८० ३८१० पाठ्यप्र.)

प्रभागीय वनाधिकारी  
सरकारी महार बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।